

कार्यालय: जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर।
वांक: वेसिक / प्राप्ति /

पत्राकः बेसिक / मान्यता /

2017-18 दिनांक ३१८ 2017

2990-3006

305

3515 2017

प्रबन्धक

रघुकुल एकेडमी इंग्लिश मीडिएम स्कूल,
लम्बुआ, सुलतानपुर।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये भान्यता प्रमाण-पत्र।

आपके दिनांक 31.08.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर आपके विद्यालय को दिनांक 17.08.2017 से दिनांक 16.05.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 08 (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संस्कृता देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पश्चात् किये जाने के अध्याधीन हैं।

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारीकरण नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।

2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपावन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपावन्ध-2) के उपवंधों का पालन करेगा।

3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर बर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा, और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 के उपवंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी रक्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सदृश न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपवंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

 - (i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई दोष परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपवंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के समीक्षा में जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अधिकारित नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन कराएंगे।
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया-कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

Principal

~~Deohukul Academy,
Medium School
Jala Sahaspur~~


 Dona G.

Raghukul Academy
Amritsh. Medium School
Lambhua Sultanpur


卷之三

- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं-
- | | |
|---|----------------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- | 0.167 एकड़िआर |
| कुल निर्मित क्षेत्रफल- | 0.103 " |
| कीड़ारथल का क्षेत्रफल- | 0.065 " |
| कक्षाओं की संख्या- | ३५ |
| प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडागार के लिये कक्ष— बालक और बालिकाओं के पृथक शौचालय— पेयजल सुविधा— मिड—डे—भील पकाने के लिये रसोई— बाधारहित पहुंच— | ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ |
| अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपरकरों/पुरताकालय की उपलब्धता— | ३५ |
- 9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
- 10- विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1980(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- रक्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगत या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक-२२/२०/२०२१ है। कृपया इसे गाट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/रथानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- विभाग द्वारा दिये जाने वाले यू-डायस प्रपत्र पर सूचना भरकर समयान्तर्गत उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- 18- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,


(कौस्तुभ कुमार सिंह)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
लम्हुआ सुलतानपुर।

रामनीति/सं०९
Manager
Raghukul Academy
English Medium School
Lambhua Sultanpur
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
सुलतानपुर।

पृ०सं० पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- सहायक शिक्षा निदेशक(वैसिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सुल्तानपुर

सेवा में,

प्रबंधक

रघुकुल एकेडमी इंग्लिश मीडियम
लम्भुआ सुल्तानपुर

पत्रांक— २८९३६/१। / 2022-23

दिनांक - २५/०१/२०२३

विषय—रघुकुल एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल लम्भुआ सुल्तानपुर कि मान्यता के स्थाई होने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,


आपके दिनांक 24.01.2023 तक प्राप्त आवेदन के विषय पर विचारोपरान्त यह तथ्य पाया गया कि विद्यालय की मान्यता दिनांक 30.05.2017 को पत्रांक मान्यता/ 2998-3000/2017/18 के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर कार्यालय से निर्गत की गई मान्यता अवधि मान्यता पत्र में ३ वर्ष के लिए प्रदान की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार की शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग 6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 में प्रथमतया निर्धारित प्रारंभ पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपनधिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता के शर्तों के उलंघन से सम्बंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य सज्जानित नहीं होता तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को रथाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।

रघुकुल एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल लम्भुआ सुल्तानपुर के पत्र व खंड शिक्षा अधिकारी लम्भुआ सुल्तानपुर की आंख्या पत्रांक ५७२/२०२२.२३ दिनांक 24.01.2023 के आधार पर उत्तरासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपनधिक मान्यता १ अप्रैल 2017 से दिनांक 16.05.2020 तक तीन वर्ष अवधि के लिए दी गई थी तीन वर्ष की अवधि में मान्यता की शर्तों के उलंघन से सम्बंधित कोई प्रतिकूल तथ्य सज्जानित नहीं हुआ।

अतः रघुकुल एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल लम्भुआ सुल्तानपुर की मान्यता शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के आधार पर रथाई मान ली जाती है।

भवदीय-


(दीप्तेन्द्र सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

सुल्तानपुर

पत्रांक— मान्यता/ १ / 2022-23

दिनांक— २५/०१/२०२३

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. खण्ड शिक्षाधिकारी विकास क्षेत्र— लम्भुआ सुल्तानपुर।।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर।।
3. प्रबंधक रघुकुल एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल लम्भुआ सुल्तानपुर।।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

सुल्तानपुर